दिनांक : 15.8.2008
म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

चतुर्थ एवं पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, विट्ठन मार्केट, भोपाल–462 016

भोपाल, दिनांक : 4 अगस्त, 2008

क्रमांक :1689/मप्रविनिआ/2008. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) तथा धारा 181(2)(व्ही) सहपठित धारा 47 (1) द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 2560/मप्रविनिआ/2004 दिनांक 22 सितम्बर, 2004 द्वारा अधिसूचित तथा म.प्र. राजपत्र में दिनांक 1 अक्टूबर, 2004 को प्रकाशित ''मप्रविनिआ (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004'' में निम्नानुसार संशोधन करता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप), विनियम 2004 में पांचवा संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा तथा प्रारंभ : (i) ये विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004 (पंचम संशोधन) (एजी–17 (v), वर्ष 2008)''** कहलायेंगे ।

(ii) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

(iii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. विनियम 1.6 में संशोधन :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004 के **विनियम 1.6,** जिसे पूर्व में **मप्रविनिआ (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004 (तृतीय संशोधन) (एजी–17 (iii) वर्ष 2006)** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, को आगे निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात् :

''1.6 (अ) निम्नदाब उपभोक्ता से प्रतिभूति निक्षेप, अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप को सम्मिलित करते हुए, को नगद अथवा धनादेश (चेक) द्वारा (इसकी वसूली के अध्यधीन) अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश (पे आर्डर) अथवा बैंकर धनादेश (बैंकर्स चेक) के रूप में स्वीकार किया जावेगा ।

(ब) अति उच्च दाब/उच्च दाब उपभोक्ता से प्रतिभूति निक्षेप, अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप को सम्मिलित करते हुए, को निम्न विकल्पों में से किसी एक के द्वारा स्वीकार किया जावेगा :

(i) 45 दिवस की खपत के बराबर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान नगद अथवा धनादेश द्वारा (इसकी वसूली के अध्यधीन) अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश (पे आर्डर) अथवा बैंकर धनादेश (बैंकर्स चैक) के रूप में भुगतान किया जावेगा ।

अथवा

(ii) 30 दिवस की खपत के बराबर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान नगद अथवा धनादेश (चेक) द्वारा (इसकी वसूली के अध्यधीन) अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश (पे आर्डर) अथवा बैंकर धनादेश (बैंकर्स चेक) के रूप में किया जावेगा तथा 15 दिवस की खपत के बराबर प्रतिभूति निक्षेप

की राशि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक को सम्मिलित करते हुए, सावधि जमा (फिक्सड डिपाजिट) योजना में न्यूनतम एक वर्ष की अवधि हेतु जमा करते हुए, इसे यथोचित अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष में रहन (Pledged) रखा जावेगा । उपभोक्ता सावधि जमा के समयबद्ध नवीनीकरण हेतु उत्तरदायी रहेगा जिसका परिपालन किये जाने पर उसे ऐसी राशि के नगद में जमा करना होगा तथा उपभोक्ता को और आगे यह विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जावेगा। उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप राशि की छमाही समीक्षा किये जाने पर, प्रतिभूति निक्षेप की वांछित राशि के विरूद्ध किसी आधिक्य/कम राशि को केवल नकद में क्रमशः समायोजन (क्रेडिट)/भुगतान किया जावेगा । इसके अतिरिक्त विनियम 1.21 के अनुसार केवल नगद में जमा की गई राशि पर ब्याज भी देय होगा ।

अथवा

(iii) 30 दिवस की खपत के बराबर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान नगद अथवा धनादेश (चेक) द्वारा (इसकी वसूली के अध्यधीन) अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश (पे आर्डर) अथवा बैंकर धनादेश (बैंकर्स चैक) के रूप में किया जावेगा। तथापि यह इस उपबंध के अध्यधीन होगा कि उपरोक्त दर्शाये गये नगद प्रतिभूति निक्षेप की 50 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान उसके द्वारा प्रत्येक बिलिंग माह में, देयक जारी होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर नगद अथवा धनादेश (चेक) के रूप में (इसकी वसूली के अध्यधीन) अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश (पे आर्डर) अथवा बैंकर धनादेश (बैंकर्स चेक) द्वारा किया जावेगा तथा चालू देयक की अवशेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान उसके द्वारा निर्धारित तिथि(ओं) को उक्त राशि के समायोजन उपरान्त, बिना किसी ब्याज के किया जावेगा । इसके अतिरिक्त, यदि कोई उपभोक्ता 50 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप राशि का भुगतान किसी भी माह में उपरोक्त निर्दिष्ट किये गये अनुसार देयक जारी होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर नहीं करता है तो उसे और आगे यह विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जावेगा तथा उसे 15 दिवस की खपत के बराबर अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप राशि का भुगतान नगद अथवा धनादेश (चेक) द्वारा (इसकी वसूली के अध्यधीन) अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश (पे आर्डर) अथवा बैंकर धनादेश (बैंकर्स चेक) के रूप में करना होगा ।

(स) ऐसे प्रकरण में जहां कोई अति उच्च दाब/उच्च दाब उपभोक्ता नोटिस अवधि के अन्तर्गत उपरोक्त विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं करता है तो ऐसी दशा में, उसे विकल्प ब (1) लागू होगा ।''

आयोग के आदेशानुसार

(अशोक शर्मा)
आयोग सचिव